न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 44/2024

अनवान :

1.रणसिंह पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2.जयदीप पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

:— प्रार्थीगण

बनाम

1. मलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. वेद उर्फ विनोद पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
3. गुड्डी देवी पुत्री मलाराम पत्नी महेन्द्र निवासी डूंगराना हाल रामबास तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री मलाराम पत्नी सुभाष निवासी डूंगरानास हाल रामबास तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा– **प्रार्थीगण**

वकील श्री दलीप सिंह झोरड़ – **अप्रार्थीगण 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 12.12.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता संख्या 321/287 के खसरा संख्या 224 की 3.7050 है0, खसरा संख्या 298 की 1.7070 है0, खसरा संख्या 301 की 9.2320 है0, कुल खसरा 3 की 14.6440 है0 वादभूमि में अप्रार्थी सं0 1 मलाराम के नाम 231/2092 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम को अपने पिता मोटाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 मलाराम के नाम दर्ज हो गई। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 का भी हक हिस्सा है। वाद भूमि 14.6640 है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी मलाराम के स्थान पर अप्रार्थी मलाराम 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद, गुड्डी व राजबाला प्रत्येक 1/5 हिस्सा वीरसिंह व प्रार्थीगण तथा सुमन संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का पिता वीरसिंह अपराधी प्रकरण में उपकारागृह हनुमानगढ में बंदी है। अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद काफी चतुर व चालाक व्यक्ति है जिसने अप्रार्थी मलाराम को अपने दबाव व प्रभाव में ले रखा है। अतः अप्रार्थी मलाराम व वेद उर्फ विनोद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने नाम दर्ज वादभूमि को रहन, बैय या मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थीगण को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 4 जरिए वकील हाजिर आए। अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब दरख्वास्त पेश नहीं किया जिसे बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने जबाब दरख्वास्त प्रस्तुत किया कि वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी कृषि भूमि नहीं है। अप्रार्थी मलाराम को अपने पिता मोटाराम से प्राप्त नहीं हुई है। मलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज नहीं है। मलाराम के साथ प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित नहीं है। मलाराम के साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 ता 4 वर्णित भूमिको काश्त नहीं करते है। सम्वत 2051 की जो जमाबंदी पेश की है वह भूमि को पुश्तैनी साबित नहीं करती है। पुश्तैनी भूमि वही होती है जो विरासतन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 4 पीढीयों से चली आ रही हो तभी उक्त भूमि दादालाई पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि हो सकती है। ऐसा कोई रिकार्ड प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण वादभूमि में घोषणा करवा पाने का कानूनी मजाज नहीं है। वाद भूमि 14.6640 है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी मलाराम के स्थान पर अप्रार्थी मलाराम 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद, गुड्डी व राजबाला प्रत्येक 1/5 हिस्सा वीरसिंह व प्रार्थीगण तथा सुमन संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार नहीं है। जब प्रार्थीगण का पिता वीरसिंह जीवित है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

उसको दरख्वास्त में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये दरख्वास्त काबिल खारिजी के है। जब वीरसिंह का हिस्सा ही घोषित नहीं हुआ है तो प्रार्थीगण को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वीरसिंह किस अपराध में हनुमानगढ में बंदी है अप्रार्थीगण को इस बात की जानकारी नहीं है। अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद कोई चतुर व चालाक व्यक्ति नहीं है और ना ही मलाराम को दवाब में ले रखा है व ना ही प्रार्थीगण के पिता के जेल में बंद होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता वीरसिंह को उनके हक व हिस्सा से वंचित करना चाह रहा है। वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि नहीं है। मलाराम ने अपने नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित फायदा नहीं उठाया है ना ही मलाराम ने वेद उर्फ विनोद से कोई मिलीभगत की है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य पेश कर सम्पूर्ण खाता पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थी मलाराम वादभूमि को किसी भी तरह रहन बैय व मुन्तकिल नहीं कर रहा है इसलिये प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बल्कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से वाद भूमि को अप्रार्थीगण सही ढंग से उपयोग उपभोग में नहीं ले सकेगा जिससे प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित नही है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम को अपने पिता मोटाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 मलाराम के नाम दर्ज हो गई। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 का भी हक हिस्सा है। वाद भूमि 14.6640 है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी मलाराम के स्थान पर अप्रार्थी मलाराम 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद, गुड्डी व राजबाला प्रत्येक 1/5 हिस्सा वीरसिंह व प्रार्थीगण तथा सुमन संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का पिता वीरसिंह अपराधी प्रकरण में उपकारागृह हनुमानगढ में बंदी है। अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद काफी चतुर व चालाक व्यक्ति है जिसने अप्रार्थी मलाराम को अपने दबाव व प्रभाव में ले रखा है। अतः अप्रार्थी मलाराम व वेद उर्फ विनोद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने नाम दर्ज वादभूमि को रहन, बैय या मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थीगण को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी कृषि भूमि नहीं है। मलाराम के साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 ता 4 वर्णित भूमि को काश्त नहीं करते है। प्रार्थीगण ने सम्वत 2051 की जो जमाबंदी पेश की है वह भूमि दादालाई साबित नहीं करती है। पुश्तैनी भूमि वही होती है जो विरासतन लगातार पीढी दर पीढी पिछले 4 पीढीयों से चली आ रही हो तभी उक्त भूमि दादालाई पुश्तैनी पैतृक कुषि भूमि हो सकती है। ऐसा कोई रिकार्ड प्रार्थीगण ने नहीं किया है। प्रार्थीगण वादभूमि में घोषणा करवा पाने का कानूनी मजाज नहीं है। वाद भूमि 14.6640 है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी मलाराम के स्थान पर अप्रार्थी मलाराम 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद, गुड्डी व राजबाला प्रत्येक 1/5 हिस्सा वीरसिंह व प्रार्थीगण तथा सुमन संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार नहीं है। जब प्रार्थीगण का पिता वीरसिंह जीवित है तो उसको दरख्वास्त में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये दरख्वास्त काबिल खारिजी है। जब वीरसिंह का हिस्सा ही घोषित नहीं हुआ है तो प्रार्थीगण को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी वेद उर्फ विनोद कोई चतुर व चालाक व्यक्ति नहीं है और ना ही मालराम ने दवाब में ले रखा है व ना ही प्रार्थीगण के पिता के जेल में बंद होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता वीरसिंह को उनके हक व हिस्सा से वंचित करना चाह रहा है। मलाराम ने अपने नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित फायदा नहीं उठाया है ना ही मलाराम ने वेद उर्फ विनोद से कोई मिलीभगत की है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य पेश कर सम्पूर्ण खाता पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थी मलाराम वादभूमि को किसी भी तरह रहन बैय व मुन्तकिल नहीं कर रहा है इसलिये प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बल्कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से वाद भूमि को अप्रार्थीगण सही ढंग से उपयोग उपभोग में नहीं ले सकेगा जिससे प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

तथा ना ही प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित है। इसलिए प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत के रूप में 2022(2) आरआरटी 1047 पेश की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया है एवं प्रकरण के निरतारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामला** :–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण विवादित आराजी का किसी भी हैसियत से काश्तकार नहीं है न ही उसे कोई कानूनी हक प्राप्त है। इससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध सिद्ध होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थीगण द्वारा अपने दादा की सम्पति में हक हिस्सा चाहा गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के खिलाफ व अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रार्थीगण न तो रेकॉर्डेड खातेदार है न ही भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में है और उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के नियमित उपयोग उपभोग से वंचित होगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के खिलाफ प्रतित होता है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए है। प्रार्थीगण का उक्त वादभूमि में किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त व अपने हक अधिकार होने का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उक्त बिन्दू भी प्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र के तीनों बिन्दू कमशः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के विरूद्व व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner